



2026:AHC-LKO:13657-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

जनहित याचिका संख्या - 150/2026

सीमा राजपूत

.....याची (गण)

बनाम

भारत संघ, सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली एवं 3 अन्य के माध्यम से

.....विपक्षी (गण)

याची के अधिवक्ता: लक्ष्मण सिंह

विपक्षी के अधिवक्ता: ए.एस.जी.आई. (भारत के अपर सॉलिसिटर जनरल), वी.पी. नाग, एस.सी. (स्थायी अधिवक्ता), सर्वेश कुमार दुबे, अंबरीश राय, सी.जी.सी. (केंद्र सरकार के वकील)

मुख्य न्यायाधीश का न्यायालय

माननीय मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली

माननीय न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह

1. यह याचिका, जो कथित तौर पर जनहित में है, याची द्वारा विपक्षी संख्या 2 को ग्राम गौरीशंकरपुर ग्रांट, तहसील एवं जिला उन्नाव के पूर्वी मार्ग से नया खेड़ा चौराहा तक एक अंडरपास (भूमिगत मार्ग) बनाने का निर्देश देने की मांग करते हुए दायर की गई है।



2. यह दलील दी गई है कि लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेस-वे के निर्माण के कारण अंडरपास के अभाव में गांव के निवासियों को भारी असुविधा हो रही है और इसलिए, विपक्षियों को अंडरपास बनाने का निर्देश दिया जाए।
3. अभिलेखों के अवलोकन से ज्ञात होता है कि याची ने पूर्व में जनहित याचिका संख्या 669 वर्ष 2024 दायर कर इस न्यायालय का रुख किया था, जिसका निर्णय 23.08.2024 को हुआ था, जिसमें विपक्षी - एन.एच.ए.आई. के अधिवक्ता के बयान को दर्ज किया गया था कि चेनेज 54.28 और 54.25 पर दो अंडरपास का निर्माण प्रस्तावित था।
4. उक्त दलीलों के आधार पर याचिका निस्तारित कर दी गई थी और आगे यह टिप्पणी की गई थी कि भविष्य में यदि कोई वाद-कारण उत्पन्न होता है, तो याची या ऐसे अन्य व्यक्ति जिनके पास कारण हो, उनके लिए इस न्यायालय में आने का मार्ग खुला रहेगा।
5. अब यह दलील दी जा रही है कि जो दो अंडरपास बनाए गए हैं, वे संबंधित गांव से कुछ दूरी पर हैं और इसलिए, विपक्षियों को गांव के करीब एक अंडरपास बनाने का निर्देश दिया जाए।
6. हमने पक्षों के अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेखों पर उपलब्ध सामग्री का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया है।
7. पूर्व याचिका में याची ने एक विशिष्ट स्थान पर अंडरपास निर्माण के संबंध में विशेष प्रार्थना की थी। विपक्षियों द्वारा दो अंडरपास के निर्माण की बात संज्ञान में लेने के बाद, न्यायालय को मामले में आगे बढ़ने का कोई कारण नहीं मिला और याचिका निस्तारित कर दी गई थी।
8. न्यायालय द्वारा दी गई स्वतंत्रता के आधार पर उसी वाद-कारण के साथ नई याचिका दायर करने को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वतंत्रता स्पष्ट रूप से इस तथ्य तक सीमित थी कि यदि विपक्षी उस निर्माण को नहीं करते जैसा कि उनके उत्तर में दर्शाया गया



था। उस स्वतंत्रता का उपयोग उसी राहत की मांग करते हुए बार-बार नई याचिका दायर करने के लिए नहीं किया जा सकता, जो पूर्व याचिका में मांगी गई थी।

9. उपरोक्त के दृष्टिगत, हमें उसी विषय वस्तु पर इस वर्तमान दूसरी जनहित याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं मिलता है। अतः, इसे खारिज किया जाता है।

(जसप्रीत सिंह, न्यायमूर्ति) (अरुण भंसाली, मुख्य न्यायाधीश)

फरवरी 20, 2026

राकेश/एन.डी.

Translated Version. Not for Legal Use.